



Neutral Citation No. - 2026:AHC:33919-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29920/2025**

कासिम हुसैन याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संतोष कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), पदमाकर पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री पदमाकर पाण्डेय के सहयोगी अधिवक्ता श्री नीरज कुमार पाण्डेय (प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता) तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार (न्यायालय) में यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान सरकारी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"